<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220791 CG-DL-E-31072020-220791

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2213] No. 2213] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

### श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2504(अ).—केंद्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न मदों के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है, अर्थात:-

- (क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद (मद संख्या 11 के अधीन समावेशित);
- (ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);
- (ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद (मद संख्या 12 के अधीन समावेशित);
- (घ) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद संख्या 21 के अधीन समावेशित);
- (ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (मद संख्या 22 के अधीन समावेशित);
- (च) करैंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड (मद संख्या 25 के अधीन समावेशित),

3379 GI/2020 (1)

और, केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 462(अ), तारीख 30 जनवरी 2020 द्वारा अंतिम बार, तारीख 30 जनवरी, 2020 से छह मास तक की कालाविध के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है :

अत:, अब केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपक्रमों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, 30 जुलाई, 2020 से छह मास की अविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)] कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

- **S.O. 2504(E).**—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall be declared as public utility services for the purposes of the said Act, namely:
  - (a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad (covered under item No.11);
  - (b) India Security Press, Nashik (covered under item No. 12);
  - (c) Security Printing Press, Hyderabad (covered under item No. 12);
  - (d) Security Paper Mill, Hoshangabad (covered under item No. 21);
  - (e) Services in the Bank Note Press, Dewas (covered under item No. 22);
  - (f) Currency Note Press, Nashik Road (covered under item No. 25).

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30<sup>th</sup> January, 2020, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 462(E), dated 30<sup>th</sup> January, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the Public Utility Service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the  $30^{th}$  July, 2020.

[F. No. S.11017/4/2011-IR (PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.